रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 482] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, नवम्बर 1, 1990/कार्तिक 10, 1912
No. 482] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 1, 1990/KARTIKA 10, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1990

सं. 44/90-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. 886 (अ) :—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसी प्रथा के अनुसार, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण की बाबत (जिसके अंतर्गत उसका उद्ग्रहण न किया जाना है) साधारणतया प्रचलित थी, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का

5) की अनुसूची के शीर्ष सं 30.03 के अन्तर्गत आने वाले रिफमपिसिन और आइसोनिआजिड (आई एन एच) सहित रिफमपिसिन के सूत्रयोग पर उत्पाद-शुल्क, 18 जनवरी, 1989 को प्रारम्भ होने वाली और 15 मई, 1989 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान प्रथम वर्णित अधिनियम की धारा 3 के अधीन उद्गृहीत नहीं किया गया था ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, प्रथम वर्णित अधिनियम की धारा 11ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त प्रथा के न होने पर, ऐसे रिफमपिसिन और आइसोनिआजिड (आई एन एच) सहित रिफमपिसिन के सूत्रयोग पर प्रथम वर्णित अधिनियम के अधीन संदेय समस्त उत्पाद-शुल्क का, रिफमपिसिन और आइसोनिआजिड (आई एन एच) सहित रिफमपिसिन के सूत्रयोग की बाबत संदाय किया जाना अपेक्षित नहीं होगा, जिस पर उक्त उत्पाद-शुल्क, उक्त प्रथा के अनुसार पूर्वोक्त अवधि के दौरान उद्गृहीत नहीं किया गया था ।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए—

(क) "आइसोनिआजिड (आई एन एच) सहित रिफमपिसिन का सूत्रयोग" पद से प्रपुंज औषधि रिफमपिसिन और आइसोनिआजिड (आई एन एच) से प्रसंस्कृत और उसको अंतर्विष्ट करने वाले ऐसे औषधिद्रव्य अभिप्रेत है, जो किसी ऐसे भेषजिक सहाय (जैसे कि तनुकारक, विघटन कर्मक, नमीकर्मक, स्नेहक, उभय प्रतिरोध कर्मक, स्थिरक या परिरक्षक) के उपयोग के सहित या रहित है जो चिकित्सीय रूप से अक्रिय है और मनुष्यों या पशुओं के लिए आन्तरिक या बाह्य उपयोग के लिए या उनके रोग का निदान, उपचार, शमन या निवारण करने में औषधियों के चिकित्सीय या रोग निरोधी क्रियाकलापों में व्यवधान नहीं डालते हैं, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसे पदार्थ नहीं हैं जिनको औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) के उपबंध लागू नहीं होते हैं ।

(ख) "प्रपुंज औषधि" पद का वही अर्थ है जो औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1987 में है ।

[फा.सं. 102/3/89-सी एक्स 3]

सी.के. कालोनी, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November, 1990

NO. 44/90-CENTRAL EXCISES (N.T.)

G.S.R. 886(E).—Whereas the Central Government is satisfied that according to a practice that was generally prevalent regarding levy of duty of excise (including non-levy thereof) under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the duty of excise on Rifampicin and formulations of Rifampicin with Isoniazid (INH), falling under Heading No. 30.03 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), was not being levied under section 3 of the first-mentioned Act during the period commencing on the 18th day of January, 1989 and ending with the 15th day of May, 1989;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 11C of the first-mentioned Act, the Central Government hereby directs that the whole of the duty of excise payable under the first-mentioned Act, on such Rifampicin and formulations of Rifampicin with Isoniazid (INH), but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of such Rifampicin and formulations of Rifampicin with Isoniazid (INH), on which the said duty of excise was not levied during the period aforesaid in accordance with the said practice.

EXPLANATION :—For the purposes of this notification—

(a) the expression "formulations of Rifampicin with Isoniazid (INH)" means medicaments processed out of or containing the bulk drugs Rifampicin and Isoniazid (INH) with or without the use of any pharmaceutical aids (such as diluent, disintegrating agent, moistening agent, lubricant, buffering agent, stabiliser or preserver) which are therapeutically inert and do not interfere with therapeutic or prophylactic activity of the drugs for internal or external use for, or in the diagnosis, treatment, mitigation or prevention of disease in human beings or animals, but does not include any substance to which the provisions of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) do not apply;

(b) the expression "bulk drug" has the same meaning as assigned to it in the Drugs (Prices Control) Order, 1987.

[F. No. 102/3/89-CX 3]

C. K. KALONI, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1990